06.11.2025

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रतिवादी/प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्य.प्र.सं. दिनांकित 23.04.2025, जिसके द्वारा उन्होंने वादी की ओर से पेश किये गये साक्ष्य में अपठनीय दस्तावेज बाबत बहस वादीगण की ओर से सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी की ओर से पेश किये गये प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा कथित इकरारनामा दिनांक 07.06.1997 जो वादी ने अपने अभिवचनों में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्वर्गीय श्री नारायण मल्होत्रा द्वारा उसके हक में निष्पादित करने व वादग्रस्त सम्पत्ति के प्रत्येक मंजिल के हिस्से का कब्जा उसे अन्तरित करने बाबत कथन किये है। उक्त इकरारनामा प्रदर्श–30 व 34 तहरीर जो कथित रूप से के.के.मल्होत्रा व पी.के.मल्होत्रा द्वारा विक्रय व कब्जा हस्तान्तरण बाबत जारी की गई, उसे प्रदर्शित कराने बाबत अंकन वादी द्वारा अपने शपथ–पत्र की चरण संख्या 9 पृष्ठ संख्या 12 व 13 पर किया गया है। शपथ–पत्र में एक मात्र विक्रय पत्र दिनांक 15.10.2008 प्रदर्श 28 के तौर पर प्रदर्शित है, जो कि सतह मंजिल के ऊपर स्थित कुछ हिस्से का है, वादी न्यायालय के समक्ष भ्रामक व असत्य स्थिति उत्पन्न करते हुए ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज, जिनके जरिये कब्जा दिया गया है, प्रदर्शित करवाना चाहा रहा है, जिन पर किसी भी प्रकार प्रदर्श अंकित किया जाना वैधानिक रूप से संभव नहीं है। उनका प्रार्थना–पत्र में यह भी कथन रहा है कि किसी भी पक्षकार को न्यायिक कार्यवाही में भ्रम अथवा असत्य उत्पन्न करने की छुट प्रदान नहीं की जा सकती। अतः दस्तावेज प्रदर्श 30 व 34 पर उचित आदेश पारित करते हुए निस्तारित किये जाने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्य वास्तविक नहीं होकर, केवल मात्र वाद में अनावश्यक रूप से देरी करने के उद्देश्य से, जो आधारहीन तथ्यों का सहारा लेकर आपत्ति की है, वह स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रतिवादी ने पूर्व में भी आधारहीन तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था, जो अस्वीकार किया जा चुका है। अंत में प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वादी की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रतिवादी/प्रार्थीगण की ओर से न तो कोई अधिवक्ता, ना ही प्रतिवादीगण उपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि

हस्तगत वाद टारगेट वाद है तथा यह प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.04.2025 से लम्बित है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि गत आदेशिका दिनांक 30.10.2025 को भी विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री राजेश गुलखंडिया ने निजी कारणों से बहस प्रार्थना–पत्र हेतु समय चाहा था, परन्तु निजी कारण क्या थे, यह नहीं बताये गये हैं, आज भी विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं है, ना ही न्यायालय के समक्ष उनकी अनुपस्थिति का कारण बताया गया है। न्यायालय का समय 2.35 पी.एम. हो चुका है, बार–बार आवाज लगायी गयी, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं है,ना ही प्रतिवादीगण उपस्थित है। हस्तगत वाद इस न्यायालय के टारगेट केसज की सूची में क्रम संख्या 43 पर लम्बित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र को लम्बे समय तक लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। यह दस्तावेज अविवादित है, जिस पर वादीगण की ओर से पेश किये गये शपथ–पत्र के पश्चात प्रदर्श 25 अंकित किया जा चुका है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

इतना लिखने पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री जी.के.अग्रवाल ने निवेदन किया है कि उनका गवाह (वादी से जिरह हेतु) आज न्यायालय में उपस्थित है, परन्तु आज विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में जिरह द्वारा प्रतिवादी का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादी गवाह से प्रतिवादी जिरह का अवसर बंद किया जाता है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने ओर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहा। अंत साक्ष्य वादीगण बंद की जाती है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 13.11.2025 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर।